न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
179 / 2025	07.04.2025	08.07.2025

1. श्री गोविन्द जाट पिता बालु लाल जाट, निवासी नारायणपुरा मालोला तहसील व जिला भीलवाडा।

– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिऐ तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)

–– विपक्षी

उपस्थितः– 1. अधिवक्ता प्रार्थीया की और से श्री कन्हैयालाल सेन
2. विपक्षी की और से पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेन्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकॉर्ड में हुई त्रुटि को दूरस्थ कराये जाने

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की राजस्व ग्राम नारायणपुरा पटवार हल्का मालोला, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा में खाता संख्या 06 में आराजी नम्बर 480 / 2 रकबा 1.0875 हैक्टेयर, एवं खाता संख्या 119 में आराजी नम्बर 1758 / 500 रकबा 0.1581 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 504 / 2 रकबा 0.1770 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.3351 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जोकि प्रार्थी के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया का नाम बिना किसी कारण के एवं लिपीकिय त्रुटि व भूलवश से प्रार्थीया का नाम मेना अंकित कर दिया, जबकि गोविन्द को बोलचाल की भाषा में काना कहते है किन्तु प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, जनआधार कार्ड ड्राईविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, गाडी की आर0सी0 आदि सभी सरकारी दजस्तावेजों में खातेदार प्रार्थी का नाम गोविन्द दर्ज किया हुआ है। जो सही है राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम काना के बजाय गोविन्द जाट किया जाने हेतु प्रार्थी ने तहसीलदार भीलवाडा के यहॉ व राजस्व कैम्प में भी आवेदन मय दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र सहित अन्य सभी दस्तावेज प्रस्तुत किये किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई इसलिए प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजियात मे प्रार्थी का नाम काना के बजाय गोविन्द जाट दर्ज किया जाने हेतु प्रार्थी की और से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

वादग्रस्त ग्राम नारायणपुरा पटवार हल्का मालोला, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा में खाता संख्या 06 में आराजी नम्बर 480 / 2 रकबा 1.0875 हैक्टेयर, एवं खाता संख्या 119 में आराजी नम्बर 1758 / 500 रकबा 0.1581 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 504 / 2 रकबा 0.1770 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.3351 हैक्टेयर भूमि स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उक्त भूमि में खातेदार प्रार्थी का नाम काना पिता बालू दर्ज है जबकि प्रार्थ के सभी सरकारी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम गोविन्द दर्ज है, इसलिए प्रार्थी उक्त भूमि से प्राप्त होने वाली सरकारी योजनाओं किसान क्रेडिट कार्ड प्रधानमंत्री किसान योजना व अन्य सरकारी जो भी लाभ है वह नहीं उठा पा रही है इसलिए जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थीया का नाम मेना के बजाय सीमा दर्ज किया जाने हेतु. यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेन्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकॉर्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने का स्वीकार फरमाया जाकर वाकें ग्राम नारायणपुरा पटवार हल्का मालोला, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा में खाता संख्या 06 में आराजी नम्बर 480/2 रकबा 1.0875 हैक्टेयर, एवं खाता संख्या 119 में आराजी नम्बर 1758/500 रकबा 0.1581 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 504/2 रकबा 0.1770 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.3351 हैक्टेयर भूमि में खातेदार प्रार्थी का नाम गोविन्द जाट दर्ज कराया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में हुई त्रुटि को दुरस्त किया जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दिनांक 07.04.2025 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये। तहसीलदार भीलवाडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार भीलवाडा द्वारा पत्रांक 15 दिनांक 27.05.2025 से रिपोर्ट प्रेषित कर अंकित किया है कि ग्राम नारायणपुरा में काना पिता बालु जाट व गोविन्द पिता बालु जाट नाम से एक ही व्यक्ति निवास करता है। एवं काना पिता बालु व गोविन्द पिता बालु नाम से अन्य कोई और व्यक्ति निवास नहीं करता है। मौके पर काना पिता बालु जाट उर्फ गोविन्द पिता बालु जाट ये दोनो एक ही व्यक्ति है मौके पर प्रार्थी द्वारा कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराये गये जिसमें प्रार्थी का नाम गोविन्द पिता बालु जाट निवासी नारायण्पुरा अंकित है तथा केवल राजस्व रेकार्ड में ही काना पिता बालु जाट लिखा है। काना प्रार्थी का बोलता नाम है। भविष्य में यदि इस नाम से यदि अन्य कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी गवाहनों व प्रार्थी की होगी। प्रकरण में तहसीलदार भीलवाडा द्वारा पुनः पत्रांक 1546 दिनांक 27.06.2025 से प्रकरण में वादी का नाम काना पिता बालू जाट के बजाय काना उर्फ गोविन्द पिता बालू जाट किये जाने की अनुशंषा की गई है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस विपक्षी पैराकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात का भलिभांति परीक्षण किया गया। बालू की विरासत में काना पिता बालू जाट बचपन का बोलता नाम दर्ज कर दिया। प्रार्थी के सभी पते एवं पहचान के प्रमाणपत्रों में नाम गोविन्द पिता बालुलाल जाट अंकित है। उपरोक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

–:आदेश :–

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर प्रकार ग्राम नारायणपुरा पटवार हल्का मालोला, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा में खाता संख्या 06 में आराजी नम्बर 480/2 रकबा 1.0875 हैक्टेयर, एवं खाता संख्या 119 में आराजी नम्बर 1758/500 रकबा 0.1581 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 504/2 रकबा 0.1770 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.3351 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम **काना पिता बालु जाट के बजाय काना उर्फ गोविन्द पिता बालु जाट** दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में संशोधन का इन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया है।

(दिव्[illegible]त)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा